# भूमि अर्जन प्रारूप – 7

## पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट

### भूमि अर्जन वाद संख्या– आठ–03 (2015–16)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | परियोजना का नाम | 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन परियोजना। |
| 2 | घोषणा संख्या एवं तारीख जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया गया हो। | 790 / XVIII(3) / 2017–02(61) / 2017 देहरादून 09 नवम्बर 2017 |
| | **भूमि की अवस्थिति** | |
| 2 | | चिलगढ़ मल्ला |
| (i) | ग्राम | बारहस्यूँ |
| (ii) | परगना | श्रीनगर |
| (iii) | तहसील | गढ़वाल |
| (iv) | जिला | 2.522 है0 |
| 3 | अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश |
| 4 | अर्जक निकाय का नाम | |
| | **पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की हकदारियां** | |
| 5 | | – |
| (i) | आवंटित किये जाने वाले आवास / भवन के बदले एक मुस्त रकम | – |
| (ii) | आवंटित किये जाने वाली भूमि | – |
| (iii) | विकसित भूमि के लिये प्रस्थापना | 3000000 |
| (iv) | प्रभावित कुटुम्बों के लिये वार्षिकी / नियोजन का विकल्प | – |
| (v) | जीवन निर्वाह अनुदान (एक वर्ष के लिये) 3000x12=36000 | – |
| (vi) | विस्थापित कुटुम्बों के लिये परिवहन व्यय एक बारगी (रू0 50 हजार) | – |
| (vii) | पशुशाला / मोटी दुकान / छोटी दुकान | – |
| (viii) | शिल्पी छोटे व्यापारी और अन्य को एक मुस्त अनुदान | – |
| (ix) | मत्स्य पालन अधिकार | – |
| (x) | विस्थापित कुटुम्बों के लिये पुनर्वासन भत्ता एक बारगी (रू0 50 हजार) | – |
| (xi) | स्टाम्प डयूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस | ............................... |
| 6 | जिस तारीख को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां | पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना |
| 7 | परिकलन का आधार | धारा 23 के अधीन देय |
| 8 | वृक्ष, आवास या किसी अन्य अचल सम्पती के लिये स्वीकृत रकम | – |
| 9 | फसलों के लिये स्वीकृत रकम | धारा 23 के अधीन देय |
| 10 | धारा–30 (3) के अधीन बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर | – |
| 11 | 2013 के अधिनियम 30 की धारा 28 के अधीन नुकसान | – |
| 12 | धारा 30 (1) के अधीन मुआवजा | **3000000** |
| 13 | **कुल रकमें** | |

जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील पौड़ी के ग्राम चिलगढ़ मल्ला, परगना–बारहस्यूँ में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत भू–अर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–23 के अधीन दिनांक 26 अप्रैल 2018 को अधिनिर्णय पारित किया गया। पारित अधिनिर्णय में अधिनियम, 2013 की धारा–33 के अनुसार अधिनिर्णयों में लिपिकीय, गणित सम्बन्धी भूलों से हुई त्रुटियों में आंशिक संशोधन पश्चात संशोधित अधिनिर्णय दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को पारित किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के उपबंध के अतिरिक्त सभी प्रभावित कुटुंबों (भू–स्वामियों और ऐसे कुटुंबों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है, दोनों) के लिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप राहत राशि देय है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा–3 (ड़) में परिभाषित कुटुम्बों के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश मांगे गये थे। शासन द्वारा न्याय विभाग से विधिक राय लिया जाना वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया गया जिस पर अभी तक न्याय विभाग से राय अप्राप्त है। दिनांक 30 जनवरी 2019 को आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक में पहली अनुसूची से प्रभावित कुटुम्ब को आधार मानते हुये पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के अधीन राहत राशि तथा एक मुस्त नियोजन के विकल्प को दिये जाने के निर्देश दिये गये।

ग्राम चिलगढ़ मल्ला में भूमि के अर्जन के फलस्वरूप कोई भी कुटुम्ब विस्थापित की श्रेणी में नहीं है। फलस्वरूप परियोजना से प्रभावित 6 कुटुम्बों को अधिनियम की अनुसूची 2 के बिन्दु 4 के अनुसार नियोजन के विकल्प के अधीन धनराशि देय है। अन्य प्रभावित कुटुम्ब ग्राम चिलगढ़ तल्ला एवं ग्राम

अतः आज दिनांक 25 फरवरी 2019 को जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील श्रीनगर के ग्राम चिलगढ़ मल्ला, परगना–बारहस्यूँ में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के फलस्वरूप प्रभावित कुटुम्बों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची के अनुसरण में रू0 3000000.00 (तीस लाख मात्र) का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय घोषित करता हूँ।

दिनांक 25 फरवरी 2019

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
कलक्टर,
गढ़वाल।

ग्राम चिलगढ़ मल्ला में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव

| क्र0 सं0 | खतौनी खा0सं0 | नाम कास्तकार मय वल्दियत | विस्थापन की दशा में | | भूमि के बदले भूमि | विकसित भूमि के लिये प्रस्थापना | वार्षिकी / नियोजन का विकल्प | | | विस्थापित कुटुम्बों के लिये जीवन निर्वाह अनुदान 1 वर्ष के लिये | एक बार दिया जाने वाला अनुदान | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | विस्थापित कुटुम्बों के लिये परिवहन खर्च | पशु बाड़ा छोटी दुकान, खर्च | कारीगर छोटे व्यापरियों को अनुदान | मछली पकड़ने का अधिकार | पुनर्व्यव–स्थापन भत्ता | स्टाम्प शुल्क | रजि स्ट्रेशन फीस | मौ |
| | | | इन्दिरा आवास योजना के अनुसार एक निर्मित मकान | मकान के समतुल्य खर्च | | | नियोजन का विकल्प | 5.00 लाख प्रति प्रभावित कुटुम्ब | 20 वर्ष तक 2 हजार प्रति माह | 3 हजार प्रतिमाह | 50 हजार | 25 हजार | 25 हजार | | 50 हजार | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 6 | हरिशाह पुत्र फकीरा शाह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 6 | प्रेम सिंह पुत्र मथरू | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 6 | नत्थी पुत्र बलू | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 6 | रामचन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 6 | नाथ सिंह पुत्र जवाहर सिंह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 6 | कुन्दन सिंह पुत्र गोविन्द सिंह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | **कुल योग** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3000000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3(** |

तैयारकर्ता

(कुलदीप गैरोला)
प्रवर सहायक
का0–वि0भू0अ0अ0,पौडी।

जांचकर्ता

(राजमोहन चमोली)
भूमि अर्जन निरीक्षक
का0–वि0भू0अ0अ0,पौडी।

(रामजी शरण शर्मा)
अपर जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

(धीराज सिंह गर्ब्या)
कलक्टर
गढ़वाल।